न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 14/2011 G.C.M.S. No. 2011/00094 दर्ज दिनांक : 11.03.2011

अपीलार्थी:

1. बुधाराम पुत्र श्रीरामा, जाति राईका, निवासी खारया स्वामी, तहसील सोजत व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भीका पुत्र इन्द्रा कौम सीरवी, निवासी खारीया स्वामी, तहसील सोजत व जिला पाली।
2. मृतक तुलछा के उत्तराधिकारी:-
   2/1 कानाराम पुत्र तुलछाराम
   2/2 खेताराम पुत्र तुलछाराम
   2/3 नेमाराम पुत्र तुलछाराम, जातिगण सीरवी, निवासीगण खारीया स्वामी, तहसील सोजत व जिला पाली।
   2/4 भंवरी पुत्री तुलछाराम पत्नि हिमताराम जाति सीरवी, निवासी सिसरवाड़ा, तहसील सोजत व जिला पाली।
   2/5 पेपीदेवी पुत्री तुलछाराम पत्नि उदाराम जाति सीरवी, निवासी दुदोड़ व तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
   2/6 पुकली पुत्री तुलछाराम पत्नि अचलाराम, जाति सीरवी, निवासी सियाट, तहसील सोजत व जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर पाली।
4. भूमिधारी तहसीलदार सोजत व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 61/1996 बअनवान बुधाराम बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2007 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार-

1. श्री श्याम पंचारिया, श्री दिनेश कुमार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नवरतन अग्रवाल, श्री विक्रमसिंह जोधा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 61/1996 बअनवान बुधाराम बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2007 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोंडेन्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 25.11.1975 को सरहद ग्राम खारिया स्वामी के पुराने खसरा नम्बर 18/1, 59, 66 व 67 की आराजी का आवंटन किया गया था। तब से वादी का इस भूमि पर निरन्तर शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। आज भी मौके पर वादी काबिज है। वादी सम्वत 2030–33 की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में गैर खातेदार दर्ज है। सेटलमेन्ट ने उक्त आराजी के क्रमशः नये खसरा नम्बर 37, 77, 70, कायम कर खसरा नम्बर 77 व 70 की आराजी का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में कर दिया। जबकि मौके पर इनका कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नुमायंदे पटवारी द्वारा बेदखली की धमकी देने से खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का यह वाद पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने रेकर्ड के आधार पर दुरूस्ती हेतु जवाब पेश किया, तथ्यात्मक जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि नये खसरा नम्बर 70 व 77 उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की सम्वत् 2012 से चली आ रही हैं। पुराने खसरा नम्बर 59 का नया खसरा नम्बर 77 गलत किया है। खसरा नम्बर 70 व 77 पुराने खसरा नम्बर 66 व 51 के कायम होना गलत बताया। वाद झूठा व गलत होना बताकर खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का कोई विवेचन नहीं किया तथा बिना साक्ष्य का विवेचन किये उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रतिवादी द्वारा कोई काउन्टर जवाब प्रस्तुत नही किया गया, उक्त जवाब के अभाव में अधिनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट के वाद को खारिज करने में जो तनकी का निस्तारण किया तथा वादी के वाद को खारिज किया, जिसके अवलोकन मात्र से यह जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को निस्तारित करने में कोई विधि अनुसार कोई माईण्ड एप्लाई नहीं किया। विधि का सिद्धान्त है कि आवंटन आदेश प्रभाव में रहते एवं आवंटित भूमि पर आवंटी का लगातार कब्जा काश्त रहने से ऐसी भूमि का ऐसे आवंटी को खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने विधि एवं साक्ष्य का बगैर अवलोकन किये वादी अपीलान्ट के वाद को खारिज किया। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट के वाद को सभी तनकी अनुसार आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के अनुसार निस्तारित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमिधारी तहसीलदार सोजत ने वादग्रस्त भूमि के आवंटी वादी अपीलान्ट को माना तथा सम्वत् 2030–33 के राजस्व दस्तावेजों अनुसार वादी को बतौर गैर खातेदार स्वीकार किया। इस प्रकार हल्का पटवारी की साक्ष्य एवं भूमिधारी के स्वीकृत साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत साक्ष्य को अनदेखा करते हुए एवं सेटलमेन्ट की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

गलती की दुरूस्ती किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। प्रार्थी की यह प्रथम अपील है जिसमें विधि व तथ्यों की जांच के अनुरूप आदेश पारित किया जाना है, प्रार्थी पशु पालक व काश्तकार है, जो अपने पशुओं को लेकर मध्य प्रदेश राज्य में गया हुआ था। इस कारण उक्त निर्णय एंव डिक्री की जानकारी प्रार्थी अपीलान्ट को नही हो सकी। प्रार्थी अपीलान्ट ने दिनांक 23.12.2010 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उसके अधिवक्ता ने बताया कि उसका वाद खारिज हो गया आगे अपील करनी पडेगी तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 24.12.2010 को आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय एवं डिक्री एवं आवश्यक दस्तावेजों के नकलों की मांग की, जो नकले दिनांक 3.2.2011 को प्राप्त होने पर यह अपील नकलें प्राप्ति से एवं अपील हेतु आवश्यक रूपयों की व्यवस्था कर अपील तत्काल प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट एवं प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2007 द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 04.03.2011 को लगभग 3 वर्ष 5 माह अर्थात लगभग 1230 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।
2. विंलबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्रार्थी की यह प्रथम अपील है जिसमें विधि व तथ्यों की जांच के अनुरूप आदेश पारित किया जाना है, प्रार्थी पशु पालक व काश्तकार है, जो अपने पशुओं को लेकर मध्य प्रदेश राज्य में गया हुआ था। इस कारण उक्त निर्णय एंव डिक्री की जानकारी प्रार्थी अपीलान्ट को नही हो सकी। प्रार्थी अपीलान्ट ने दिनांक 23.12.2010 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उसके अधिवक्ता ने बताया कि उसका वाद खारिज हो गया आगे अपील करनी पडेगी तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 24.12.2010 को आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय एवं डिक्री एवं आवश्यक दस्तावेजों के नकलों की मांग की, जो नकले दिनांक 3.2.2011 को प्राप्त होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पर यह अपील नकलें प्राप्ति से एवं अपील हेतु आवश्यक रूपयों की व्यवस्था कर अपील तत्काल प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से संबंधित वादपत्र में अपीलांट स्वयं वादी था तथा अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपस्थिति में पारित किया गया है। अतः अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की निर्णय दिनांक से ही बखूबी जानकारी थीं। अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट पशुपालक काश्तकार है तथा अपीलांट अपने पशुओं को लेकर मध्यप्रदेश गया हुआ होने के कारण उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी तथा प्रार्थी अपीलांट ने दिनांक 23.12.2010 को अपने अधिवक्ता से संपर्क करने पर अधिवक्ता द्वारा वाद खारिज हो जाने व अपील करने बाबत बताया, के संबंध में हमारे विनम्र मत में किसी पक्षकार द्वारा रोजगार या अन्य प्रयोजन से अन्यत्र प्रवास विलंब का युक्तियुक्त कारण नहीं माना जा सकता एवं यह भी विश्वास योग्य नहीं हैं कि अपीलांट वाद प्रस्तुत करने से दिनांक 23.12.2010 तक अन्यत्र राज्य में रहा हों, बल्कि अपीलांट स्वयं द्वारा यह अंकित किया है कि उसने दिनांक 23.12.2010 को अपने अधिवक्ता से संपर्क किया। अर्थात अपीलांट द्वारा जानबूझकर इससे पूर्व अपने अधिवक्ता से संपर्क तक नहीं किया गया। जोकि अपीलांट वादी की लापरवाही परिलक्षित होती हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा विलंब के लिए दर्शित कारण युक्तियुक्त व सद्भाविक नहीं माने जा सकते व अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में किया गया दीर्घ विलंब माफ करने योग्य नहीं हैं।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.
4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **1230 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **1230 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

राजस्व अपील अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली

Scanned with OKEN Scanner